न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 2021/00029

शोजी आत्मज अम्बालाल जाति मीणा निवासी कालामाल तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
---अपीलान्ट

बनाम

1. जुम्मा आत्मज हजारा जाति मुसलमान निवासी कालामाल तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
2. बदरूद्दीन आत्मज जुम्मा खॉ जाति मुसलमान निवासी कालामाल तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
3. राजस्थान राज्य द्वारा तहसीलदार नैनवा जिला बून्दी ।

---रेस्पोडन्ट

उपस्थित :– 1. श्री कैलाश गुप्ता, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री वहीद अहमद, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट की ओर से ।

निर्णय दिनांकः 30.07.2021

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नैनवा जिला बून्दी द्वारा पारित निर्णय दिनांक 28.10.2020 के विरूद्ध पेश की गई हैं ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि प्रार्थी रेस्पोडेन्ट कम 01 ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 251 (ए) के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कथन किया कि प्रार्थीगण के खातेदारी की कृषि भूमि ग्राम कालामाल तहसील नैनवा में खाता संख्या 54 में खसरा नम्बर 401 रकबा 03 बीघा 13 बिस्वा व खाता संख्या 55 की खसरा नम्बर 405 रकबा 12 बीघा 09 बिस्वा स्थित है । अप्रार्थीगण कम 1 लगायत 2 के खातेदारी की भूमि ग्राम कालामाल में खसरा नम्बर 401 रकबा 03 बीघा 13 बिस्वा स्थित है । प्रार्थी के खाते की आराजी में आने–जाने व कृषि सामानों को लाने ले जाने के लिए कोई रास्ता राजस्व रिकॉर्ड में मौजूद

नहीं है । प्रार्थी अपने खाते की भूमि पर कृषि साधनों व आने–जाने के लिए अप्रार्थी क्रम 1 लगायत 6 की भूमि खसरा नम्बर 405 रकबा 12 बीघा 09 पर परिशिष्ट "अ" में दर्शाये रास्ते ए से बी पर होकर पक्की सडक तक जाता है लेकिन राजस्व रिकॉर्ड में अंकन नहीं होने के कारण अप्रार्थी द्वारा रास्ता अवरूद्ध कर दिया है । प्रार्थी उक्त दर्शाय गये 15 फीट का रास्ता राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करवा कर उक्त भूमि का प्रतिफल अप्रार्थीगण को नियमानुसार भुगतान कर चुका है । यदि समय रहते उक्त रास्ता राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज नहीं किया गया तो प्रार्थीगण की आराजी पडत रह जावेगी ।

3. अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थी को उनके खाते की आराजी पर पहुंचे हेतु अप्रार्थीगण की भूमि खसरा नम्बर 401 रकबा 03 बीघा 13 बिस्वा पर होकर परिशिष्ट "अ" में अंकित ए से बी चौचाई 15 बीट का न्यायालय आदेशानुसार आने वाली भूमि की राशि नियमानुसार जमा कर राजस्व रिकॉर्ड में रास्ता दर्ज करने का आदेश पारित किया जावे ।

4. अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 28.10.2020 के द्वारा प्रार्थिया का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर नया रास्ता कायम करने का आदेश पारित किया ।

5. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन आदेश दिनांक 28.10.2020 से व्यथित होकर अप्रार्थी क्रम 02 अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर कथन किया कि अपीलान्ट को प्रार्थी रेस्पोडेन्ट द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र पर जिरह का अवसर नहीं दिया गया है न ही अपीलान्ट को मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया गया है । अधीनस्थ न्यायालय ने बिना कोई साक्ष्य लिये निर्णय पारित किया है । अधीनस्थ न्यायालय ने खसरा नम्बर 402 सिंचाई विभाग खातेदार की भूमि लगभग 05 बिस्वा भी रास्ते में दिया जाना निर्णित किया है किन्तु सिचाई विभाग को पक्षकार नहीं बनाया है और उनका भी जवाब प्राप्त नहीं किया है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय त्रुटिपूर्ण है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 28.10.2020 निरस्त फरमाया जावे ।

6. अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई ।

7. अपीलान्ट के विद्वान् अभिभाषक ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और कथन किया कि रेस्पोडेन्ट प्रार्थी जुम्मा ने अधीनस्थ न्यायालय में धारा 251 (ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रार्थना पत्र पेश किया । अपीलान्ट के द्वारा जवाब प्रस्तुत कर कथन किया गया था कि खसरा नम्बर 401 की 03 बीघा 13 बिस्वा आराजी वाके ग्राम कालामाल में अप्रार्थी श्योजी का 1/2 हिस्सा है जिसमें अपने हिस्से की आराजी पर तारबन्दी करके काबिज होना और खसरा नम्बर 401 का विभाजन नहीं होने का भी कथन किया और प्रार्थी के पास वैकल्पिक रास्ता मौजूद है यह भी कथन किया गया । अपीलान्ट को रेस्पोडेन्ट द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र पर जिरह करने का अवसर नहीं दिया गया है । अपीलान्ट को मौखिक साक्ष्य पेश करने का अवसर नहीं दिया गया है । अपीलान्ट की अनुपस्थिति में रिपोर्ट तैयार की

गई है । खसरा नम्बर 402 सिंचाई विभाग का है जिसमें से 05 बिस्वा रास्ते को दी गई है । सिंचाई विभाग को पक्षकार नहीं बनाया गया है । पटवारी हल्का की रिपोर्ट है जो कि धारा 251 (ए) के तहत रिपोर्ट देने के लिए अधिकृत नहीं है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 28.10.2020 निरस्त फरमाया जावे । उन्होंने अपने पक्ष के समर्थन में आरआरडी 2019 पेज 424 उद्धरत की ।

8. रेस्पोडेन्ट के विद्वान् अभिभाषक ने अपनी बहस में कथन किया कि परीक्षण न्यायालय में रेस्पोडेन्ट ने रास्ता कायम करने के लिए प्रार्थना पत्र पेश किया था । परीक्षण न्यायालय ने रिपोर्ट प्राप्त कर धारा 251 (ए) के प्रावधानों के अनुसार रास्ता कायम किया है जिसमें किसी प्रकार की त्रुटि नहीं की है । रेस्पोडेन्ट के पास कोई स्वीकृतशुदा मार्ग नहीं है । अधीनस्थ न्यायलय का निर्णय विधि सम्मत है । अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 28.10.2020 बहाल रखा जावे । उन्होंने अपने पक्ष के समर्थन में आरआरडी 2019 पेज 121 उद्धरत की ।

9. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं उभयपक्ष के विद्वान् अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया । परीक्षण न्यायालय में रेस्पोडेन्टगण के द्वारा धारा 251 (ए) के तहत रास्ता कायम करने के लिए प्रार्थना पत्र पेश किया गया है जिसमें रेस्पोडेन्ट रेस्पोडेन्ट क्रम 02 के द्वारा इकबाली जवाब पेश किया गया है । अपीलान्ट की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र आपत्तियों के साथ पेश किया है ।

10. पत्रावली पर संलग्न तहसीलदार नैनवा के पत्र दिनांक 09.06.2020 के साथ मौका रिपोर्ट संलग्न की गई है । रिपोर्ट पटवारी हल्का के द्वारा तैयार की गई है जबकि विधिक प्रावधानों के अनुसार आई0एल0आर0 से नीचे स्तर के अधिकारी द्वारा रिपोर्ट तैयार नहीं की जा सकती । रिपोर्ट पक्षकारों की उपस्थिति में तैयार नहीं की गई है । प्रस्ताव के साथ रास्ता प्रस्तावित किया गया है परन्तु किहीं भी यह अंकित नहीं किया गया है कि प्रार्थी के पास अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता मौजूद नहीं है । परीक्षण न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय पारित करते हुए खसरा नम्बर 402 में भी रास्ता कायम किया है । खसरा नम्बर 402 गैर मुमकिन धौरा सिंचाई विभाग है परन्तु उनको पक्षकार बनाये बिना उनकी आराजी में से रास्ता कायम किया गया है जो त्रुटिपूर्ण है । धारा 251 (ए) के तहत नया रास्ता कायम करने के लिए रिपोर्ट में यह स्पष्ट रूप से अंकित किया जाना अनिवार्य होता है कि प्रार्थी के पास अन्य कोई वैकल्पिक राजस्थ मौजूद नहीं है और रिपार्ट आई0एल0आर0 से नीचे स्तर के अधिकारी द्वारा तैयार नहीं की जा सकती । रिपोर्ट पक्षकारों की मौजूदगी में तैयार की जानी चाहिए । इन समस्त तथ्यों के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय त्रुटिपूर्ण होने से खारिज होने योग्य है । अपीलान्ट के द्वारा उद्धरत नजीर आरआरडी 2019 पेज 424 यहॉ चस्पा होती है ।

11. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 28.10.2020 निररस्त किया जाता है । प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि धारा 251 (ए) के प्रावधानों के अनुसार पुनः तहसील से मौका रिपोर्ट प्राप्त कर रिपोर्ट पर पक्षकारों को आपत्ति पेश करने

का अवसर प्रदान करते हुए नये सिरे से विधि सम्मत निर्णय पारित करें । यदि अपीलान्ट के अलावा किसी अन्य पक्षकार की आराजी भी रास्ता कायम करने के लिए ली जा रही है तो उन्हें भी पक्षकार बनाया जावे । पक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे दिनांक 20.09.2021 को अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हों ।

12. निर्णय आज दिनांक 30.07.2021 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

30/7/2021

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा